न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 146 सन 2022

अनवान :–

1. नन्दराम पुत्र हेतराम जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. भूपसिह पुत्र हेतराम जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
2. मनीराम पुत्र हेतराम जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
3. हवासिह पुत्र हेतराम जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
4. जयसिह पुत्र हेतराम जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
5. विनोद पुत्र भूपसिह जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
6. सुनिल कुमार पुत्र भूपसिह जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजरव नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 21/03/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 57/57 की कुल 0.7590हैक भूमि सयुक्त तौर से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से दर्ज है रोही मौजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 56/56 की कुल 12.1440हैक भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम से मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 एक ही परिवार के सदस्य है जिनकी वाद भूमि के अलावा अन्य चकों /गांव में खातेदारी भूमिया है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है परन्तु वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादी वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के मध्य हुए बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज को वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है तथा वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 4 को अन्य चक में भूमि प्राप्त हुई हो उसके नाम दर्ज हो चुकी है तथा वाद भूमि

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही हुई है जिसे वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसाल किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 57/57 की कुल 0.7590हैक भूमि सयुक्त तौर से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से दर्ज है रोही मौजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 56/56 की कुल 12.1440हैक भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम से मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 एक ही परिवार के सदस्य है जिनकी वाद भूमि के अलावा अन्य चकों /गांव में खातेदारी भूमिया है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी राहमति से बाहमी बटवारा कर लिया जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है परन्तु वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादी वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के मध्य हुए बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 57/57 की कुल 0.7590हैक भूमि सयुक्त तौर से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से दर्ज है रोही मौजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 56/56 की कुल 12.1440हैक भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम से मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम से मुश्तरका खाते में दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया हुआ है जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही हे व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल पेश किया।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है ।

अत: वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि

वादी नन्दराम पुत्र हेतराम के पास रोही मोजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 56/56 के प0न0 355/457(63) के किला न0 11 ,20/0.5060हैक , प0न0 354/456(61) के किला न0 23/0.01219हैक, 24/0.2530 ,प0न0 354/457 (62) के किला न0 3/0.01219हैक ,4/0.2530 ,5/1 की 0.227 ,5/2 की 0.0260 ,6/1 की 0.227 ,6/2 की 0.0260हैक 7/0.2530 ,8/0.01219हैक , 13/0.01219 ,14/0.2530 ,15/1 की 0.227 ,15/2 की 0.0260हैक 16/1 की 0.227 ,16/2 की 0.0260 ,17 की 0.2530 हैक , 18 की 0.01219 हैक कुल 2.84395हैक भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 2 मनीराम के पास :– रोही मोजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 56/56 के प0न0 354/456(61) के किला न0 22/0.2530 ,23/0.24081हैक , प0न0 354/457(62) के किला न0 2/0.2530 ,3/0.24081, 8/0.24081 ,9/0.2530 , 11–12/0.5060 ,13/0.24081 ,18/0.24081 ,19 ता 21/0.7590हैक 22/0.13695 ,प0न0 354/458 (73) किला न0 1/0.2530 ,10/0.12925हैक कुल 3.72725हैक भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 3 हवासिह के पास :– रोही मोजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 57/57 के प0न0 354/456(61) के किला न0 20 ,21/0.5060 , प0न0 354/457(62) के किला न0 1, 10/0.2530 ,एव रोही मोजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 56/56 के प0न0 354/467(62) के किला न0 10/0.2530 ,प0न0 354/458(73) के किला न0 10/0.14375 ,11 ,20 ,21/0.7590हैक भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ,6 के पास रोही मोजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 56/56 के प0न0 354/457(62) के किला न0 22/0.1165 ,23/0.2530 ,24/0.2530 ,प0न0 354/458(73) के किला न0 2 ता 4/0.7590 ,7 ता 9/0.7590 ,12 ता 14/0.7590हैक 17 ता 19/0.759हैक 22 ता 24/0.7590हैक कुल 4.4170हैक भूमि रहेगी।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज किया जावे ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 21/03/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. नन्दराम पुत्र हेतराम जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 भूपसिह पुत्र हेतराम जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
2. मनीराम पुत्र हेतराम जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
3. हवासिह पुत्र हेतराम जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
4. जयसिह पुत्र हेतराम जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
5. विनोद पुत्र भूपसिह जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
6. सुनिल कुमार पुत्र भूपसिह जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 146 सन 2022 निर्णय दिनांक– 21/03/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि

वादी नन्दराम पुत्र हेतराम के पास रोही मोजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 56/56 के प0न0 355/457(63) के किला न0 11 ,20/0.5060हैक , प0न0 354/456(61) के किला न0 23/0.01219हैक, 24/0.2530 ,प0न0 354/457 (62) के किला न0 3/0.01219हैक ,4/0.2530 ,5/1 की 0.227 ,5/2 की 0.0260 ,6/1 की 0.227 ,6/2 की 0.0260हैक 7/0.2530 ,8/0.01219हैक , 13/0.01219 ,14/0.2530 ,15/1 की 0.227 ,15/2 की 0.0260हैक 16/1 की 0.227 ,16/2 की 0.0260 ,17 की 0.2530 हैक , 18 की 0.01219 हैक कुल 2.84395हैक भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 2 मनीराम के पास :– रोही मोजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 56/56 के प0न0 354/456(61) के किला न0 22/0.2530 ,23/0.24081हैक , प0न0 354/457(62) के किला न0 2/0.2530 ,3/0.24081, 8/0.24081 ,9/0.2530 , 11–12/0.5060 ,13/0.24081 ,18/0.24081 ,19 ता 21/0.7590हैक 22/0.13695 ,प0न0 354/458 (73) किला न0 1/0.2530 ,10/0.12925हैक कुल 3.72725हैक भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 3 हवासिह के पास :– रोही मोजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 57/57 के प0न0 354/456(61) के किला न0 20 ,21/0.5060 , प0न0 354/457(62) के किला न0 1, 10/0.2530 ,एव रोही मोजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 56/56 के प0न0 354/467(62) के किला न0 10/0.2530 ,प0न0 354/458(73) के किला न0 10/0.14375 ,11 ,20 ,21/0.7590हैक भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ,6 के पास रोही मोजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 56/56 के प0न0 354/457(62) के किला न0 22/0.1165 ,23/0.2530 ,24/0.2530 ,प0न0 354/458(73) के किला न0 2 ता 4/0.7590 ,7 ता 9/0.7590 ,12 ता 14/0.7590हैक 17 ता 19/0.759हैक 22 ता 24/0.7590हैक कुल 4.4170हैक भूमि रहेगी।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज किया जावे ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/03/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर

Scanned with CamScanner